पत्रांक–12/नि.3–02/2018......473....................../

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

जटा शंकर चौधरी, भा०प्र०से०
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
झारखंड राज्य में संचालित सभी स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय।

रॉंची, दिनांक...02/03/2020.../

विषय :– **झारखंड स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2020 का गठन करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में संचालित सभी स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय के लिए झारखंड स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2020 का गठन करने का निर्णय लिया है।

अतः झारखंड स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2020 का प्रारूप विभागीय पोर्टल (www.jharkhand.gov.in and education.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर आप अपना सुझाव/आपत्ति इस पत्र के प्रकाशित होने के एक पक्ष के भीतर विभाग/निदेशालय को उचित माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस नियमावली का गठन किया जा सके।

विश्वासभाजन,

02/03/2020

(जटा शंकर चौधरी)
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या 6/व.1–97/2004 .... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय – 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–

(1) यह नियमावली झारखण्ड स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2020 कहलायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय – 2

परिभाषाएँ :– जब तक कोई बात, विषय संदर्भ न हो इस नियमावली में :–

(i) **"स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वर्ग 12 तक के अध्यापन करने वाले ऐसे इंटर महाविद्यालय, जो झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियामावली, 2005 के तहत् स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त कर राज्य में संचालित हैं।

(ii) **"निदेशक"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।

(iii) **"क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमण्डलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(iv) **"जिला शिक्षा पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(v) **"प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों मे प्रधान के रूप में नियुक्त व्याख्याता, चाहे उसका पदनाम जो भी हो।

(vi) **"व्याख्याता"** से अभिप्रेत है, स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय के लिये नियुक्त विभिन्न विषयों के शिक्षक।

(vii) **"प्रयोगशाला सहायक"** से अभिप्रेत है, स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय में स्थापित किये गये प्रयोगशालाओं में सहायक के रूप में कार्य करने वाला प्रभारी।

(viii) **"शिक्षकेत्तर कर्मचारी"** से अभिप्रेत है, वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पद पर स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी।

(ix) **"झारखण्ड अधिविद्य परिषद्"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।

(x) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अध्यक्ष।

(xi) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के सचिव।

(xii) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य।

(xiii) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार।

(xiv) **"शासी निकाय"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 7.6 (1) के तहत् मान्यता प्राप्त इंटर महाविद्यालय के लिए गठित शासी निकाय।

(xv) **"मान्यता प्राप्त"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड इन्टरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 के तहत् स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय।

(xvi) **"सक्षम प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, इंटर महाविद्यालय के शासी निकाय।

(xvii) **"प्रशिक्षण"** से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी०एड० के समकक्ष घोषित अन्य डिग्री।

Scanned with CamScanner

(xviii) "मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

अध्याय – 3

स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों में शिक्षक कर्मी की अधोलिखित श्रेणियाँ होंगी :–

(क) प्राचार्य
(ख) व्याख्याता
(ग) शारीरिक शिक्षा अनुदेशक
(घ) पुस्तकाध्यक्ष
(ड़) कम्प्यूटर अनुदेशक

स्थायी प्रस्वीकृति इंटर महाविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी :–

(क) प्रयोगशाला सहायक
(ख) प्रयोगशाला वाहक
(ग) प्रधान लिपिक
(घ) लिपिक –सह– टंकक
(ड.) लेखापाल
(च) रोकड़पाल
(छ) आदेशपाल
(ज) स्वीपर

अध्याय – 4

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पद एवं उसकी नियुक्ति की अहर्त्ता/योग्यता :–

1. स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्य/व्याख्याता एवं अन्य शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पद की संख्या तथा उनकी नियुक्ति हेतु वांछित योग्यता/अहर्त्ता निम्नलिखित होगी :–

क्र0 सं0	पद का नाम	पद की संख्या	योग्यता
1	2	3	4
1	प्राचार्य	01	(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर एवं नियमावली में निर्धारित योग्यता (ii) कार्य अनुभव–डिग्री महाविद्यालय में 7 वर्षों का अथवा किसी मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय/मान्यता प्राप्त इंटर महाविद्यालय में 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव।
2	व्याख्याता	प्रत्येक मान्यता प्राप्त विषय में एक–एक पद। जिस इंटर महाविद्यालय को एक से अधिक (2 या 3) संकाय में प्रस्वीकृति प्राप्त है वहाँ अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा साहित्य में दो–दो पद।	जैसा कि नियमावली में विहित है। राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री एवं बी0एड0।
3	प्रधान लिपिक	01	स्नातक एवं लिपिक, रोकड़पाल या लेखापाल के रूप में मान्यता प्राप्त इंटर महाविद्यालय में 07 वर्षों का कार्यानुभव।
4	लेखापाल	01	बी0कॉम0 ।
5	रोकड़पाल	01	बी0कॉम0 ।
6	पुस्तकाध्यक्ष	01	स्नातक, डिप्लोमा इन लाईब्रेरी साईन्स
7	दिनचर्या लिपिक–सह–टंकक	01	स्नातक एवं कम्प्यूटर टंकण।
8	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	01	बी0पी0एड0/डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन।
9	कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक	01	बी0सी0ए0/डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एजुकेशन।

Scanned with CamScanner

10	प्रयोगशाला सहायक	प्रत्येक प्रायोगिक विषय में एक–एक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक विज्ञान/संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री/अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए न्यूनतम 45% ।
11	प्रयोगशाला वाहक	प्रत्येक प्रायोगिक विषय में एक–एक	इंटर विज्ञान/संबंधित विषय में इंटर।
12	आदेशपाल	07	मैट्रिक।
13	स्वीपर	02	साक्षर (न्यूनतम अष्टम् उत्तीर्ण)।

2. यदि किसी भी संकाय विशेष के लिए यथोक्त मानक मंडल के अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता है तो छात्र, शिक्षक के अनुपात जो 128:1 की होगी, के अनुसार अधिविद्य परिषद् की अनुशंसा पर राज्य सरकार के अनुमोदन से पद सृजित किये जा सकते हैं।

अध्याय – 5

नियुक्ति :– शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्याय–3 में उल्लिखित पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।

1. यथोक्त पद पर नियुक्ति हेतु शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत पदधारक/सचिव, विज्ञापन के प्रारूप पर झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगें। इस प्रारूप में अन्य बातों के साथ–साथ विज्ञापित पद का नाम, रिक्ति की संख्या, अपेक्षित अहर्ताएँ, उपलब्धियाँ/अनुभव और अन्य संबंधित विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट रहेंगी। अनुमोदित विज्ञापन का कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशन अनिवार्य होगा।
2. विज्ञापन के पूर्व शासी निकाय द्वारा यह विनिश्चय किया जायेगा कि नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जायेगी या मात्र साक्षात्कार या दोनों। अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं विशिष्ट अनुभव/दक्षता प्रमाण पत्रों के आधार पर 60% एवं साक्षात्कार के आधार पर 40% प्रदेय अंकों के प्रारुप पर ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।
3. अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को कम–से–कम एक सप्ताह की नोटिस देकर लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा।

   परीक्षा/साक्षात्कार के लिये इस प्रकार बुलाये गये अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार का संचालन समुचित तिथि को इस प्रयोजनार्थ शासी निकाय द्वारा गठित साक्षात्कार समिति द्वारा की जायेगी।
4. साक्षात्कार समिति का स्वरुप निम्नवत् होगा :–
   1. संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नामित पदाधिकारी।
   2. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ।
   3. शासी निकाय द्वारा नामित तीन शिक्षाविद्/विषय विशेषज्ञ/शिक्षा प्रेमी जिनमें से एक SC/ST तथा एक महिला का होना अनिवार्य होगा।

   (ii) उपर्युक्त साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष शासी निकाय द्वारा नामित किये जायेंगे।

   (iii) शासी निकाय द्वारा साक्षात्कार की तिथि की सूचना 15 दिन पूर्व सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को दी जायेगी, ताकि सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ससमय साक्षात्कार के लिए गठित साक्षात्कार समिति में एक विषय विशेषज्ञ को नामित कर सकेंगे।
5. यदि अभ्यर्थी, प्राचार्य/व्याख्याता या शासी निकाय साक्षात्कार समिति के किसी सदस्य का संबंधी हो तो वे साक्षात्कार के पहले इसकी सूचना शासी निकाय को देंगे। ऐसे पदधारक/व्यक्ति साक्षात्कार समिति का सदस्य नहीं रहेंगे।

Scanned with CamScanner

(86)

6\. शासी निकाय द्वारा भरे जानेवाले प्रत्येक पद के लिये, साक्षात्कार किये गये प्रत्याशियों में से तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की नामिका (पैनल) अधिमानता–क्रम से साक्षात्कार समिति द्वारा तैयार की जायेगी जिसपर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

शासी निकाय साक्षात्कार के एक सप्ताह के भीतर मेधाक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेगी। यदि नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थी योगदान नहीं करतें हैं, तो उनके नीचे अधिमानता वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति की जायेगी एवं उसके एक माह के भीतर सभी वांछित दस्तावेजों के साथ उनके नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वांछित अभिलेख झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को भेजा जायेगा।

नियुक्ति के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित अभिलेख/दस्तावेज झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को भेजना अनिवार्य होगा।

(क) समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित है की प्रति (ख) साक्षात्कार के समय सचिव के द्वारा किये गये विनिश्चय से सम्बद्ध संकल्प की प्रति (ग) अभ्यर्थियों की उपस्थिति विवरणी (घ) अभ्यर्थियों की प्राप्तांक का सारणी–बद्ध विवरण, जिसमें सभी आवेदकों के नाम, अर्हताएँ और अन्य विशिष्टयाँ दी रहें (घ) सभी आवेदकों के आवेदन पत्र, अनुलग्नक सहित की छायाप्रति (ड.) शासी निकाय के निर्णय/कार्यवाही की छायाप्रति (च) नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, एवं अभ्यर्थी की अर्हत्ता/योग्यता से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति। सभी अभिलेख/दस्तावेज सचिव, शासी निकाय द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

7\. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा शासी निकाय की अनुशंसा प्राप्त होने पर एक माह के भीतर अपना विनिश्चय शासी निकाय को संसूचित करना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में विनिश्चय की सूचना न मिले तो एक निबंधित स्मार शासी निकाय द्वारा सचिव/अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को भेजी जा सकेगी और उसके पन्द्रह दिनों के भीतर परिषद् की समुचित राय या आदेश संसूचित नहीं किये जाने पर यह समझा जायेगा कि शासी निकाय की अनुशंसा को परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है।

8\. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा शासी निकाय के निर्णय से सहमत नहीं होने की स्थिति में एक पक्ष के अंदर अपनी आपत्ति शासी निकाय को संसूचित की जायेगी, जिसके निराकरण के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सकेगा। परन्तु प्रावधान के अनुरूप अपेक्षित योग्यता/अहर्त्ता नहीं रहने की स्थिति में अथवा प्रक्रियागत त्रुटि पाये जाने पर शासी निकाय के निर्णय को रद्द कर पुनः नये सिरे से नियुक्ति की कार्रवाई हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा शासी निकाय को निदेश दिया जा सकेगा।

आयु :– जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु (प्राचार्य के अतिरिक्त) न्यूनतम 21 वर्ष (Graduate + Train) तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरुपेण होगी :–

(क) व्याख्याता, पुस्तकाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के लिए :–

		विकलांग हेतु
1. सामान्य कोटि (पुरुष)	40 वर्ष	45 वर्ष
2. अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरुष)	42 वर्ष	47 वर्ष
3. महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष

Scanned with CamScanner

4. अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला) 45 वर्ष 50 वर्ष
5. अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) 45 वर्ष 50 वर्ष

परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/दिव्यांग को आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

(ख) प्राचार्य के लिए :-

प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 50 वर्षों की होगी।

(ग) शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/कम्प्यूटर अनुदेशक/प्रयोगशाला सहायक के लिए :-

जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जोयगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार आयु वही होगी, जो कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 2096 दिनांक 25.04.2011 द्वारा निर्धारित किया गया है।

(घ) लिपिक, रोकड़पाल एवं लेखापाल के लिए :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.1995 के द्वारा निरूपित प्रावधानों के अनुरूप आयु सीमा।

(ङ.) प्रधान लिपिक, रोकड़पाल एवं लेखापाल के लिए :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.1995 के द्वारा निरूपित प्रावधानों के अनुरूप आयु सीमा होगी किन्तु प्रधान लिपिक पद के लिए सभी कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में प्रावधान के अतिरिक्त सात वर्षों की छूट रहेंगी।

(च) प्रयोगशाला वाहक/आदेशपाल/स्वीपर के लिए :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 164 दिनांक 03.12.1980 एवं संकल्प संख्या 3577 दिनांक 25.04.1997 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अद्यतन दिशा निर्देशों के अधीन अपेक्षित आयु एवं अर्हत्ताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेशपाल के पद पर करने की कार्रवाई की जायेगी।

9. स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों में इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त अप्रशिक्षित व्याख्याता, जिन्होंने नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि तक 15 वर्षों की सेवा अप्रशिक्षित व्याख्याता के रूप में पूरा कर ली है, को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (CBSE) उप विधियों के मानदण्ड के अनुसार उनके लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

अध्याय - 6

7. **स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों के व्याख्याता/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें:-**

1. प्रारंभ में किसी भी पद पर अस्थायी नियुक्ति की जायेगी। परीक्ष्यमान की अवधि दो वर्षो की होगी। कार्य तथा आचरण संतोष जनक पाये जाने पर उसके पश्चात् सेवा स्थायी की जा सकेगी, अन्यथा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की सहमति से सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
2. महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उम्र 60 वर्ष होगी।

Scanned with CamScanner

3. शासी निकाय महाविद्यालयों के परिवीक्ष्यमान व्यक्ति सहित किसी भी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को निम्नलिखित कोई भी दंड दे सकेगी :-

(क) लघु दंड –

(i) चेतावनी।

(ii) परिनिन्दा (सेन्सर)।

(ख) वृहत दंड –

(i) वेतनवृद्धि की रोक।

(ii) पदावनति।

(iii) सेवोन्मुक्ति।

(iv) पदच्युति।

4. शासी निकाय संबद्ध व्यक्ति को दण्ड देने के पूर्व अपने आचरण या आरोप के संबंध में सम्यक् रूप से लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दे सकेगा और शासी निकाय प्रथमदृष्टया यदि यह समझे कि आरोप बहुत गंभीर है और यह महसूस करे कि –

(क) ऐसे व्यक्ति को महाविद्यालय की सेवा में बने रहना महाविद्यालय के अनुशासन और सामान्य भलाई की दृष्टि से अहितकर होगा।

(ख) संबद्ध व्यक्ति महाविद्यालय अभिलेख में उलट–फेर अथवा तोड़–मरोड़ कर सकता है अथवा महाविद्यालय की संपत्ति या साज–समान को अन्य नुकसान पहुंचा सकता है।

तो शासी निकाय, विशेष संकल्प के द्वारा ऐसे व्यक्ति को निलंबित करने का विनिश्चय कर सकेगा।

5. किसी प्रकार का कोई दंड देने से पूर्व प्रपत्र "क" में आरोप पत्र गठित किया जायेगा एवं संबंधित कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जायेगी। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी एवं आरोपकर्त्ता (शासी निकाय) के पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तोता पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रमाणित आरोप के सापेक्ष में शासी निकाय के द्वारा दण्ड दिया जा सकेगा। किन्तु वृहत्त दण्ड देने के पूर्व द्वितीय कारणपृच्छा की जायेगी। प्राप्त कारणपृच्छा तथा साक्ष्यों की गहन समीक्षा के उपरांत ही वृहत्त दण्ड दिया जा सकेगा, जो समान्यतया भ्रष्टाचार, नैतिक दुराचार एवं गबन से संबंधित प्रमाणित आरोप हो सकते हैं।

6. निलंबन की अवधि तीन माह से अधिक होने की स्थिति में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की सहमति आवश्यक होगी। निलंबन की अवधि में उसे जीवन निर्वाह भत्ता जो उसके मासिक वेतन का आधा होगा और जीवन–यापन भत्ता जो निर्वाह भत्ते के रूप में प्राप्त वेतन अनुपात में होगा, दिया जा सकेगा।

7. अभियुक्त के आरोपों से विमुक्त किये जाने की स्थिति में निलंबन की अवधि, कर्त्तव्यस्थ अवधि मानी जायगी और उस अवधि का पूरा वेतन और भत्ता दिया जाएगा। यदि शासी निकाय बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे तो वह इस बात का भी विनिर्दिष्ट विनिश्चय करेगी कि निलंबन की अवधि कर्त्तव्यस्थ अवधि मानी जायेगी या नहीं।

8. ऐसे सभी मामले में, जिनके शासी निकाय चार बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे, ऐसा दंड वास्तव में कार्यान्वित किये जाने के पहले, कार्यवाही के सभी अभिलेख और व्याख्यात्मक अग्रपत्र झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पास भेजे जायेंगे। शासी

Scanned with CamScanner

निकाय के निर्णय से व्यथित व्यक्ति एक माह के भीतर झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पास अपील कर सकेगा और परिषद् का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

अध्याय -7

08 छुट्टी :-

1. **आकस्मिक छुट्टी** :- प्रत्येक पंचांग वर्ष में शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये समान
रूप से चौदह दिन आकस्मिक छुट्टी के होंगे। प्राचार्य के द्वारा ली जानेवाली छुट्टी को शासी
निकाय के सचिव तथा अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के द्वारा ली जानेवाले छुट्टी
को महाविद्यालय के प्राचार्य स्वीकृत करेंगे। एक बार में यह छुट्टी अधिकतम आठ दिनों
तक की ही दी जा सकेगी, जो मासिक अनुपात को ध्यान में रखकर दी जायेगी, किन्तु
किसी भी स्थिति में लगातार 12 दिनों से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किये
जायेंगे। आकस्मिक छुट्टी में पड़नेवाले नियतावकाश के दिन छुट्टी के अंश के रूप में नहीं
गिनी जायेगी।

2. **अर्जित छुट्टी** :- (क) पूरे पंचांग वर्ष की कार्यावधि में प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक और
शिक्षकेत्तर कर्मचारी पूर्ण वेतन पर चौदह दिन यह छुट्टी अर्जित करेगा। पंचांग वर्ष के पहली
जनवरी एवं पहली जुलाई को 07-07 दिनों की छुट्टी अर्जित की जाएगी। यह छुट्टी तीन
वर्षो से कम की सेवा पर अनुमान्य नहीं होगी। यह छुट्टी 300 दिनों के अधिक अर्जित
होने पर व्ययगत समझा जायगा।

3. **अर्द्धवैतनिक छुट्टी** :-पूरे पंचांग वर्ष की कार्यावधि में प्रतिवर्ष प्राचार्य या अन्य
शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी अर्द्धवेतन पर बीस दिनों की छुट्टी अर्जित करेगा।
यह छुट्टी प्राचार्य या शिक्षक/शिक्षकेत्तर के स्वयं के रूगण्ता प्रमाण-पत्र के आधार
पर दी जा सकेगी। अर्द्धवेतन के स्थान पर पूर्ण वैतनिक रूप में 10 दिनों की छुट्टी
रूपान्तरित की जा सकेगी और इसकी प्रविष्टि सेवापुस्तिका की छुट्टी लेखा में कर दी
जायेगी।
अर्जित एवं अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति शासी निकाय के द्वारा दी जा सकेगी।

4. **अध्यापनावकाश** :- महाविद्यालय के प्राचार्य या व्याख्याता जो संपुष्ट हो अपने पूरे
सेवाकाल में उच्च अध्ययन के लिये तीन वर्षो तक अवैतनिक रूप में अध्ययनावकाश ले
सकेगा और इस अवकाश के कारण संबंधित व्यक्ति की सेवा संबंधी सुविधाओं में कोई
बाधा नहीं होगी।

5. **मातृत्व अवकाश** :- किसी महिला शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को गर्भवती होने की
स्थिति में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर शिशु के
अनुमानित जन्म की तिथि से नब्बे दिन पूर्व एवं नब्बे दिन बाद कुल 180 दिनों की
लगातार छुट्टी दी जायेगी, किन्तु यह मात्र दो शिशु तक ही सीमित रहेगा।

6. **विशेषावकाश** :- सभी महिला शिक्षक/कर्मी को प्रत्येक माह दो दिनों का विशेष अवकाश
का लाभ दिया जायेगा। इस छुट्टी का उपभोग नहीं किये जाने पर यह माह विशेष में ही
व्ययगत हो जायेगा। इसके स्वीकृति पदाधिकारी वहीं होंगे जो अकास्मिक छुट्टी स्वीकृत
करेंगे।

7. **संक्रामक रोगावकाश** :- (क) जिस घर में शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी वस्तुतः रहता हो
उसमें संक्रामक रोग हो जाने के परिणाम स्वरुप कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा जा सकेगा।
(ख) संक्रामक रोगावकाश, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सचिव, झारखण्ड अधिविद्य
परिषद्, झारखण्ड द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी या लोक-स्वास्थ्य पदाधिकारी के प्रमाण पत्र

पर अधिक से अधिक 14 दिनों के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा। इस प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि से अधिक ली गयी छुट्टी साधारण छुट्टी मानी जायगी।

सभी प्रकार के अवकाश के अभिलेखों का संधारण शासी निकाय द्वारा किया जायेगा।

अध्याय – 8

अन्यान्य

1. इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।
2. इस नियमावली के नियम 3 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई इस नियमावली के सुसंगत नियम के तहत किया जायेगा।
3. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगा, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के तहत् कृत्य कार्रवाई माने जायेंगे।
4. अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें झारखण्ड सेवा संहिता एवं सरकारी +2 विद्यालय से सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारियों पर लागू प्रावधान लागू होंगे।

निरसन

इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प/आदेश निरसित माने जायेंगें। परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित संकल्प/आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ए0पी0 सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

…ांक : ..../ राँची, दिनांक ....

…लिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी …ाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब …ली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने … कृपा की जाय।

(ए0पी0 सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

Scanned with CamScanner

ांक : ..../ राँची, दिनांक ....

ालिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के ान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची/सभी विभाग के ान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास ुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा ीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार धिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0पी0 सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ांक : ..../ राँची, दिनांक ....

ालिपि : महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा िवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ए0पी0 सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

Scanned with CamScanner